डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 21/2026-27 के पृष्ठ सं. 1, 190, 191 और 192 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा.सं.ऐरा/20010/एमवाईटीपी/आईओएसपीएल/एफएफ/बैंगलोर/सीपी-IV/2026-31

आदेश संख्या 21/2026-27

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) के लिए कैंम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलोर में चतुर्थ नियंत्रण अवधि (1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031) के लिए ईंधन अवसंरचना प्रभार (एफआईसी) निर्धारित करने के मामले में ।

जारी करने की तारीख : 09 अक्टूबर, 2026

तृतीय तल,
उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110003

11. प्राधिकरण के निर्णयों का सार

अध्याय 2 : टैरीफ निर्धारण की कार्यप्रणाली

2.2.1 आईओएसपीएल की ईंधन फार्म सेवाओं के संबंध में चतुर्थ नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) से संबंधित सिंगल टील आधार पर "लागत-प्लस अप्रोच" अपनाना।

अध्याय 3: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का निर्धारण

3.30.1 तालिका 5 के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

3.30.2 तालिका 9 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

3.30.3 तालिका 11 के अनुसार आरएबी को मानना।

3.30.4 तालिका 13 के अनुसार एफआरओआर को मानना।

3.30.5 तालिका 17 में वर्णित किए अनुसार ओ एंड एम खर्च को मानना।

3.30.6 तालिका 20 के अनुसार कराधान को मानना।

3.30.7 तालिका 23 के अनुसार एआरआर और अधिक वसूली को मानना और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के एआरआर में इस अधिक वसूली को समायोजित करना।

अध्याय 4: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन थ्रुपुट (मात्रा)

4.6.1 तालिका 26 के अनुसार बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैंगलोर में आईओएसपीएल के संबंध में चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन थ्रूपुट पूर्वानुमान को मानना।

4.6.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, वास्तविक ईंधन थ्रुपुट के आधार पर, चतुर्थ नियंत्रण अवधि के संबंध में ईंधन थ्रुपुट को ट्रू-अप करना ।

अध्याय 5: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय, मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

5.12.1 तालिका 33 के अनुसार आरएबी में पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

5.12.2 तालिका 37 के अनुसार मूल्यह्रास को मानना।

5.12.3 तालिका 40 के अनुसार औसत आरएबी को मानना।

5.12.4 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप कार्य के दौरान एआरआर/लक्षित राजस्व से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि पुन: समायोजित (कम) करना। परंतु, यदि किसी विशेष परियोजना का आईएसपी या उसकी अनुबंधित एजेंसी के नियंत्रण से बाहर के कारण की वजह से टैरिफ आदेश में अनुमोदित कैपेक्स समय-सारणी के अनुसार पूंजीकरण नहीं किया गया है और इसका पर्याप्त औचित्य दिया गया है तो इसे उचित माना जाएगा।

5.12.5 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वहन किए गए कैपेक्स की लागत दक्षता और औचित्य की शर्त पर पूंजीगत व्यय को ट्रू-अप करना।

अध्याय 6: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर

6.6.1 आईएसपी द्वारा प्रस्तावित 11.32 प्रतिशत के एफआरओआर की दर को मानना ।

6.6.2 पंचम नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर को ट्रू-अप करना।

अध्याय 7: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय

7.6.1 तालिका 52 के अनुसार प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय को मानना ।

7.6.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय को खर्च के औचित्य और दक्षता तथा अन्य संगत तथ्यों के आधार पर ट्रू-अप करना।

अध्याय 8: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

8.4.1 बैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आईओएसपीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली फ्यूल फार्म सेवाओं के संबंध में तालिका 55 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना ।

8.4.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के वैमानिक कर को ट्रू-अप करना।

अध्याय 9: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

9.7.1 तालिका 61 के अनुसार प्रयोक्ता भुगतान सिद्धांत के अंतर्गत चिन्हित परियोजना (40 स्टैंड हाइड्रेंट विस्तार) के लिए वृद्धिशील एआरआर और वाईपीपी को मानना ।

9.7.2 आईओएसपीएल के संबंध में तालिका 62 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए बेसलाइन एआरआर को मानना ।

9.7.3 पंचम नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के एआरआर को ट्रू-अप करना।

9.7.4 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय, आईएसपी द्वारा रियायत अवधि के अंत में हवाई अड्डा प्रचालक से प्राप्त होने वाले बेकार माल के अपेक्षित बाजार मूल्य के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बेकार माल पर प्रतिलाभ की समीक्षा करना।

अध्याय 10: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

10.7.1 आईओएसपीएल के लिए तालिका 67 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए एफआईसी से वैमानिक राजस्व को मानना ।

10.7.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय 'अन्य आय' सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के वैमानिक राजस्व को ट्रू-अप करना।

12 आदेश

प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि: -

I. आईओएसपीएल, बैंगलोर को दिनांक 16.10.2026 से चतुर्थ नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के संबंध में ईंधन फार्म सेवाओं के लिए संलग्नक-I के अनुसार संशोधित टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

II. इसमें अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

III. इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

IV. मैसर्स आईओएसपीएल प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगा।

V. हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश के अनुसार आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए अनुमोदित टैरिफ दरों को सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

VI. हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

प्राधिकरण की और से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

सेवा में,
श्री बिपिन वानखेड़े, सीएफओ,
इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड,
केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर
बैंगलुरु-560300

प्रतिलिपि :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, 'बी ब्लॉक', सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरु-560300